

**न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद**  
**(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)**

**प्रार्थना पत्र 14(4) : 06 / 2022**

**दायर दिनांक: 25.03.2022**

**निर्णय दिनांक 07.11.2025**

**:: अनवान ::**

1. श्रीमती मेहताब कुंवर पत्नी श्री रतन सिंह जी राजपूत, उम्र 40 वर्ष निवासी – आशीवाद नगर, रेल्वे स्टेशन के पास, वार्ड नम्बर 27, तहसील राजसमन्द जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती कंचन कुंवर पत्नी श्री गोविन्द सिंह जी राजपूत, उम्र 41 वर्ष, निवासी आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
3. श्रीमती धापू कुंवर पत्नी श्री अजीत सिंह जी राजपूत, उम्र 30 वर्ष, निवासी – आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
4. श्रीमती लाड कुंवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह जी राजपूत, उम्र 37 वर्ष, निवासी – आमली का कुंआ, देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

**– प्रार्थीगण**

**बनाम**

1. श्री कन्ना पिता स्व. कालू जी भील, उम्र बालिग, निवासी-देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
2. श्रीमती गंगा बाई पत्नी स्व. श्री रामा जी भील, उम्र बालिग, निवासी-देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
3. श्री छगनलाल पिता स्व. श्री रामा जी भील, उम्र बालिग, निवासी-देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
4. मु. संतोक बाई पुत्री स्व. रामा जी भील, उम्र बालिग, निवासी-देपुर (नाला), मण्डियाना, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज०)

**– विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) कृषि भुमि आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त कराये जाने अन्त्योदय आवंटन पत्रावली संख्या 263/77 दिनांक 10/10/1977**



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**उपस्थित:-**

- 1- श्री भंवर सिंह राव, अधिवक्ता प्रार्थी, अनुपस्थित।
- 2- श्री अक्षय पालीवाल अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 04 उपस्थित।
- 3- श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 05 उपस्थित

**:: निर्णय ::**

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियमन 1970 विरुद्ध आदेश क्रमांक 263/77 दिनांक 10.10.1977 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द की खसरा नम्बर 654 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से आराजी नम्बर 1229/654 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन मोडा पिता कालू जी भील को गलत किया गया है, क्योंकि मोडा पिता कालू जी भील भूमिहीन काश्तकार नहीं है। उक्त आराजी नम्बर 1229/654 को 1228/654 राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी से मिलीभगत कर गलत आराजी नम्बर 1229/654 के बजाय 1228/654 अंकित करा दी। जो की गैर सरकारी भूमि होकर बिलानाम सरकार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज थी तथा उक्त भूमि चाराजोही भूमि होकर गांव के मवेशी उक्त भूमि पर चरते हैं। मोडा पिता कालू जी भील का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है एवं नहीं वर्तमान में है तथा मोडा पिता कालू जी भील जो की लाऔलाद फौत हो चुके हैं तथा उसकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है तथा विरासत से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 4 तक के पति/पिता के नाम पर चली आ रही है, किन्तु आवंटन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा, द्वारा सहवन से बगैर मौका की वस्तुस्थिति का ज्ञान किये ही उक्त जमीन को मोडा पिता स्व. कालू जी भील को आवंटन दिनांक 10/10/1977 को कर दी व उसकी व उसकी पत्नी की लाऔलाद मृत्यु हो जाने से विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 4 के पति/पिता रामा के नाम पर विरासत से नामान्तरण खुलवा दिया जबकि उक्त जमीन पर मृतक मोडा एवं मोडा की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व स्व. रामा व उनके वारिसान के कब्जे में कभी भी नहीं रही एवं नहीं आवंटन होने के पश्चात् ही उनका कोई कब्जाकाश्त रहा है। केवल मात्र आवंटन की वजह से राजस्व रेकॉर्ड में मोडा पिता स्व. कालू जी भील के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज कर दी व उसकी मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 4 के पति/पिता स्व. रामा के नाम विरासत से नामान्तरण खोल दिया गया दिया गया। अन्त्योदय



*Deh*

आवंटन आदेश न्याय एवम् विधि के विपरित है जो निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित गत आराजी नम्बर 654 वर्तमान आराजी नम्बर 1229/654 जो की पटवारी से मिलीभगत कर आराजी नम्बर 1228/654 कर दी गई जिसका रकबा 4 बीघा है जो की चाराजोही भूमि है जिस पर आज तक किसी के द्वारा काशत नहीं किया गया है एवं वर्तमान में भी भूमि खाली अवस्था में है मोडा पिता स्व. कालू जी भील ने चुपके चुपके उक्त भूमि को अपने नाम से आवंटित करवा ली जिसका की उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं था तथा मोडा पिता स्व. कालू भील की मृत्यु लाओलाद हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि विपक्षी सख्या 1 व विपक्षी सख्या 2 से 4 के पति/पिता स्व. रामा के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई जो की गलत एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर दर्ज की गई है। विपक्षी संख्या 1 से 4 उक्त वर्णित भूमि से दूर निवास करते है तथा उनके खातेदारी की भूमि भी उक्त वर्णित भूमि से काफी दूर है उक्त जमीन अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आवंटन की गई उक्त जमीन कृषि प्रयोजनार्थ हेतु आवंटित की गई लेकिन आवंटन के पश्चात् भी न तो मोडा पिता स्व. कालू जी भील ने उक्त भूमि पर काशत किया है एवं नहीं विपक्षी सख्या 1 व विपक्षी सख्या 2 से 4 के पति/पिता रामा ने उक्त भूमि पर काशत किया है एवं नहीं विपक्षी सख्या 1 से 4 द्वारा काशत किया जा रहा है उक्त भूमि पिछले 40 वर्षों से भी अधिक समय से जैसी थी उसी अवस्था में पडी हुई है। आवंटन अधिकारी द्वारा कोई सूचना जारी नहीं की गई नहीं मौका देखा गया नहीं आवंटन सलाहकार समिति की कोई बैठक ही हुई आवंटी को आवंटन की पात्रता भी प्राप्त नहीं थी तथा भूमिहीन काशतकार भी नहीं थे उक्त भूमि रास्ते पर स्थित है जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता क्योंकि कानून राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के अनुसार किसी भी सडक के 50 गज की सीमा में स्थित कोई भी भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। इस प्रकार रास्ते पर स्थित भूमि का आवंटन आदेश प्रारम्भ से ही शुन्य अवैध और क्षेत्राधिकार विहीन है फिर भी विपक्षी सख्या 1 से 4 व मोडा भील, रामा ने आवंटन अधिकारी से मिलीभगत कर उनके परोक्ष में उक्त भूमि का आवंटन करवा दिया तथा आवंटन पश्चात् मोडा पिता कालू जी भील की मृत्यु के बाद विपक्षी सख्या 1 व विपक्षी सख्या 2 से 4 के पति/पिता स्व. रामा के पक्ष में नामान्तरण खुलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अंकित करवा ली जो कतई न्यायोचित नहीं हो निरस्त किये जाने योग्य है। दिनांक 10/01/2022 को विपक्षी सख्या 1 से 4 व भूमाफिया को लेकर उक्त भूमि पर जेसीबी मशीन लेकर आये और 20-25 बीघा भूमि पर खडे हुऐ हरे भरे वृक्षो को उखाड दिया जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त व्यक्ति को कहा की भूमि पर जेसीबी मशीन क्यों चला रहे है ये तो सरकारी भूमि है तो भूमाफियाओ ने प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच करने लगे ओर कहने लगे की ये भूमि विरासत से



*deh*

हमारे नाम एलोट हो चुकी है और अब इस पर हमारा कब्जा है और हमारे काम में रुकावट पैदा की तो जान से हाथ धोना पड़ेगा जिस पर प्रार्थीगण ने तहसीलदार, पटवारी आदी से जानकारी ली व प्रार्थीगण ने अविलम्ब दिनांक 13.01.2022 को आवंटन की पत्रावली की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस नकल दिनांक 17.01.2022 को नकल प्राप्त हुई जिससे यह प्रार्थना पत्र अविलम्ब आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र विरुद्ध विपक्षीगण सपरिव्यय स्वीकार फमराया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के पक्ष में ग्राम देपुरा, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द में स्थित आराजी नम्बर 1229/654 को 1228/654 राजस्व रेकॉर्ड में पटवारी से मिलीभगत कर गलत आराजी नम्बर 1229/654 के बजाय 1228/654 अंकित हुआ है, का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे तथा इस आवंटन की पालना में विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 से 4 के पिता स्व. रामा के पक्ष में निर्णित नामान्तरण संख्या 526 दिनांक 07/12/2001 और इस मूल नामान्तरणकरण के बाद निर्णित पश्चातवर्ती नामान्तरण संख्या 897 रामा के बजाय वारिसान हक से विपक्षी संख्या 2 से 4 तक के नामान्तरणकरण निरस्त फरमाये जाकर भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करायी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता अक्षय पालीवाल ने उपस्थिति दी तथा विपक्षी संख्या 5 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मियाद से बाधित पाया गया परन्तु प्रकरण में न्यायहित में गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होने से पत्रावली को गुणावगुण पर सुना गया।

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षीगण को काश्तकार नहीं माना है। राजस्व रिकॉर्ड में हुए रिकॉर्ड की टंकन त्रुटी बताई है और विपक्षी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजियात का कभी कब्जा काश्त नहीं होकर काश्त नहीं करने का तथ्य प्रस्तुत किये है जो किसी प्रकार से सही नहीं है, गलत होकर अस्वीकार है। उक्त वादग्रस्त आराजियात दिनांक 10.10.1977 को मोडा पिता कालु जी के नाम पर आवंटित हुई तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् से विपक्षी संख्या 1 से लगायत 4 का ही कब्जा चला आ रहा है और उक्त आराजियात के आवंटन के समय प्रार्थीगण का जन्म



*Handwritten signature*

ही नहीं हुआ था। सन् 1977 में उक्त आराजियात में विपक्षी संख्या 1 से 4 मोडा पिता कालु जी के विधिक वारिसान होने की वजह से उनका नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज हुआ। उस समय भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की थी। जिसके बाद इतने वर्षों से उक्त भूमि पर काश्त करने के साथ ही मोडा पिता कालु जी भील के नाम गैर खातेदार से बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ और उनकी मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हुआ। उक्त आराजियात पर विपक्षीगण सदैव से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में इस तथ्य का भी हवाला दिया गया है कि वहां पर गांव के मवेशी चरते हैं परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में भी केवल कुछ लोगो द्वारा उक्त भूमि को हडपने की बदनियती के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें भी गांव के किसी अन्य व्यक्ति को कोई उजर आपत्ति हो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया है जिस कारणवश यह प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है। उक्त प्रार्थना पत्र आवंटन के 45 वर्षों बाद पेश हुआ है जो मयाद बाधित है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि मयाद अधिनियम के अन्तर्गत मयाद के प्रावधानों का कठोर व्याख्या (Strict Interpretation) किया जाना न्यानहित में आवश्यक है। विपक्षी द्वारा अपने बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Maxium of Delay and Laches में अन्तर्गत यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने अधिकारो पर सो रहा है तो यह माना जायेगा कि वह अपने अधिकारो का परित्याग कर चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से यह तथ्य स्वयं ही साबित होता है कि उक्त आवंटन के समय प्रार्थीगण में से न तो कोई मौजूद था न ही किसी का जन्म हुआ था ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सारहिन तथ्यो पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त रेवेन्यू बोर्ड में न्यायालय ने उक्त तथ्य को सुस्थापित किया है कि जहां पर व्यक्ति के नाम कोई सरकारी भूमि आवंटित होती है और उक्त जमीन में आवंटित व्यक्ति का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो जाता है तो अन्य किसी व्यक्ति को इस कृषि आवंटन की धारा 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र लाने का अधिकार नहीं है यदि कोई लाता है तो सारहिन होने से निरस्त होने योग्य है। इसके पश्चात् भी प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यो पर विपक्षीगण को परेशान करने और उक्त आराजियात को हडपने की बदनियति से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि कथन किया कि ग्राम देपुर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द की खसरा नम्बर 654 रकबा 18 बीघा 15



*(Handwritten signature)*

बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान आराजी नम्बर 1229/654 में से 4 बीघा भूमि का आवंटन राजस्थान कृषि भूमि प्रयोजनार्थ 1970 के तहत विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया तथा उसके पश्चात् आवंटी द्वारा शर्तो पालना करने पर नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) को खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में कृषि भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 को निरस्त कराये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ) आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। यह प्रकरण कृषि भूमि के आवंटन के 45 वर्षो पश्चात प्रस्तुत किया गया है तथा इसके साथ में धारा 5 का भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथा मियाद अधिनियम के तहत इसमें राहत मांगी गयी है। इसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 10.01.2022 को विपक्षी संख्या 1 से 4 जेसीबी लेकर आए तो उन्हें उक्त भूमि के आवंटन होने का पता चला। और इस प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.01.2022 को नकल प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। मियाद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यों तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से प्रार्थीगण के पास 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत करने का कोई समुचित आधार प्रकट नहीं हुआ है साथ ही प्रार्थी द्वारा जो नामान्तरकरण की प्रति प्रस्तुत की गयी है उसमें यह स्पष्ट है कि दिनांक 10.01.1975 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा एक बैठक आयोजित की जाकर यह आवंटन किया गया। यह आवंटन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री मोडा पिता स्व० कालू को 4 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 श्री मोडा के वारीसान है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 को वर्ष 2014 में खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिया गया है। प्रार्थी ने कहा है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के पूर्वाधिकारी ने चुपके चुपके राजस्व कर्मचारियो व पटवारियो से मिलीभगत करके आवंटन कराया है पर यह लिखे जाने का कोई भी आधार प्रकट नहीं हुआ है। क्योंकि 45 वर्ष पूर्व किस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति जो अन्त्योदय परिवार से है उसने उपखण्ड अधिकारी, प्रधान, सरपंच, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी जो की सभी आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य होते है। सबसे जब नियमानुसार आवंटन कराया हो तो यह कहने का कोई आधार साबित नहीं हुआ है कि प्रकार से चुपके चुपके यह आवंटन किया गया हो। इस संबंध में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 12808/2020/ में दिये गये निर्णय दिनांक 08.02.2024 की प्रति प्रस्तुत की गयी है जिसमें भी यह निर्णित किया गया है कि 17 वर्षो पश्चात




*deh*

इस तरह की अपील कर दिये जाने का कोई आधार नहीं होता कि इतने समय की छुट इस तरह के प्रकरणों में दे दी जाए।

अतः यदि हम मियाद के संदर्भ में बात करे तो यह प्रार्थना पत्र 45 वर्ष पश्चात प्रस्तुत हुआ है जो कि मानने योग्य नहीं है तथा साथ अगर गुणावगुण पर बात करे तो अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आर आर डी 1996 पेज नं.137 भी प्रस्तुत किया गया है इसमें यह स्पष्ट रूप से निर्णित किया गया है कि जिस आवंटी को खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है उसके विरुद्ध 14(4) के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में अप्रार्थीगण के पूर्वाधिकारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा चुके है। अतः इस प्रकरण में राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत कोई न्यायिक आधार इस प्रार्थना पत्र में प्रकट नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विचाराणीय प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।


### :: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा साथ ही इस संबंध में तहसीलदार नाथद्वारा को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि इस कृषि भूमि का कोई भाग राष्ट्रीय राजमार्ग या सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई सड़क या मार्ग अधिकार में कोई आता हो तो उसका स्पष्ट रूप से अंकन कर उसे बिलानाम करने की कार्यवाही की जावे। तथा शेष भूमि उसी अनुसार अप्रार्थीगण की रहेगी।

  
( अरुण कुमार हसीजा )  
जिला कलक्टर  
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 07.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
( अरुण कुमार हसीजा )  
जिला कलक्टर  
राजसमंद